उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्याः 7/2021/1529/तीस-4-2021-9(1)/2008टीसी
लखनऊःदिनांकः 06 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 2 सन 1985) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की गयी क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) जिसमें एनसीटी दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों अर्थात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग समाविष्ट हैं, में प्रभावी परिवहन प्रणाली के विकास को सुगम बनाने के हित में, अन्तरराज्यिक परिवहन के अप्रतिबन्धित तथा निर्बाध संचालन, प्रदूषण में कमी और बाधाओं/भीड़-भाड़ को दूर करने की, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात् पूर्वाक्त राज्यों, में अत्यन्त आवश्यकता है।

और चूँकि, उपर्युक्त के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्री वाहनों के निर्बाध आवागमन हेतु हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते का प्रस्ताव (जैसा कि नीचे अनुलग्नक में दिया गया है), किया जाना प्रस्तावित है।

अतएव, अब, मोटर यान अधिनिय, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 88 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के मध्य प्रस्तावित उपरोक्त करार, एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में अभ्यावेदन आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित किया जाता है।

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव से संबंधित अभ्यावेदन प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन या उसके पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उक्त अवधि या उसके पूर्व प्राप्त अभ्यावेदनों पर दिनांक 10.01.2022 को कार्यालयावधि में, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने कार्यालय, कक्ष संख्या-711, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में पूर्वाह्न 11:00 बजे विचार किया जाएगा।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

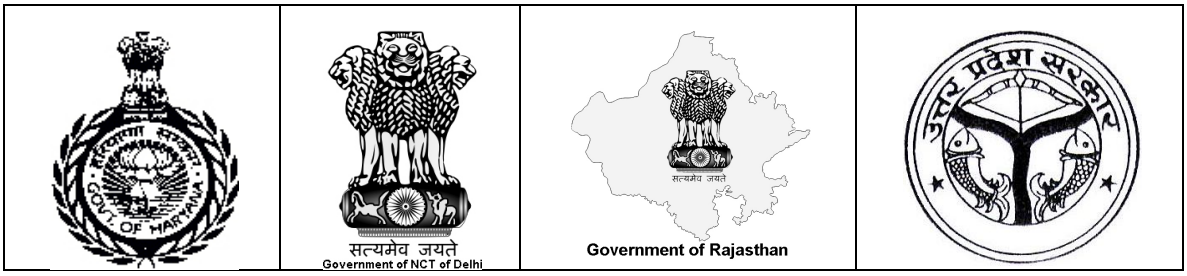

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्री वाहनों के व्यवधान रहित आवागमन

के लिए

हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों

के मध्य

संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन करार

मंजिली व ठेका गाड़ी

31 अगस्त, **2021**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सत्यमेव जयते
Government of India

संयुक्त मंजिली एवं ठेका गाडी करार

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक सामान्य परिवहन करार

चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित और समय-समय पर संशोधित अनुलग्नक-एक में विद्यमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग समविष्ट हैं, में प्रभावी परिवहन प्रणाली के विकास को सुगम बनाने के हित में अन्तर्राज्यिक परिवहन के अप्रतिबन्धित[1] और निर्बाध[2] संचालन, प्रदूषण में कमी और बाधाओं/भीड़-भाड़ को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों के बीच एक पारस्परिक सामान्य मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी परिवहन समझौते की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र अनुलग्नक-दो पर है।

अतएव, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें एतद्द्वारा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तो पर सहमत हैं:-

यह करार अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी/ समनुदेशिती सम्मिलित हैं) की सरकारों के मध्य किया गया।

चूँकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास और पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के अन्तर्राज्यिक परिवहन के अप्रतिबंधित एवं निर्बाध संचालन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य और उनके माध्यम से पारस्परिक सामान्य करार करना आवश्यक हे।

और चूँकि इससे सम्बद्ध पक्षकार करार करते हैं कि यह करार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निमित्त उक्त विषय में उनके मध्य हुए पूर्ववर्ती करारों को अधिक्रमित करता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एतद्द्वारा लागू अन्य समस्त करारों पर इस करार का अध्यारोही प्रभाव होगा।

अब यह विलेख साक्षी है और उक्त पक्षकार एतद्द्वारा पारस्परिक रूप में निम्नलिखित करार करते हैं :-

1. हस्ताक्षरित करार एन सी आर पी बी द्वारा जारी होने पर यह करार तत्काल प्रभाव से लागू होगा। क्षेत्र में यान के संचालन के लिए मा0 न्यायालय के विशिष्ट आदेशों/निर्देशों का पालन[3] करना होगा।

.....

1. अन्तर्राज्यीय यातायात की अप्रतिबन्धित आवाजाही एनसीआर जिलों में पंजीकृत वाहनों की आवाजाही है, जो रोधों/सीमाओं पर रूके बिना है।

2. अन्तर्राज्यीय यातायात की निर्बाध आवाजाही या तो यात्रा के तरीके को बदले बिना या यात्रा के संपादन में यात्रा के तरीके बीच त्वरित और कुशल स्थानान्तरण के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्री वाहनों की आवाजाही है।

3. एनसीआर में विभिन्न अवसरों पर वाहनों की आवाजाही से सम्बन्धित मD सर्वोच्च/ उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों को इस समझौते में सम्बन्धित राज्य के लिए लागू उनके उल्लेख के बावजूद एनसीआर में लागू किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. मंजिली गाड़ी परमिट/लाइसेंस

2.1 दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गो पर मंजिली गाड़ियों के प्रचालनों से सम्बन्धित पारस्परिक करार अनुलग्नक- ''क'' से ''च'' के अनुसार होंगे जो नीचे **2.7** के अधीन है। भविष्य में फेरों की संख्या का विनिश्चय, समय-समय पर यातायात की आवश्यकता/मांग के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

2.2 इस करार के प्रयोजनार्थ किसी फेरे का तात्पर्य प्रतिदिन एक फेरे से है। अनुलग्नक-क, ख, ग, घ, ड़. और च में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य सदैव दोनों राज्यों में स्थित उनमें उल्लिखित स्थानों से होकर जाने वाले दोनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे छोटे सीधे मार्गों से है। रोजाना मासिक टिकट यात्रियों को ले जाने वाली मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में दिल्ली में चढ़ने और उतरने वाले बिन्दुओं की संख्या राज्यों के मध्य पारस्परिक/द्विपक्षीय करारों के अनुसार होगी। उक्त अनुलग्नक में दर्शाये गये मार्गों के नाम या लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को सम्बन्धित राज्यों के मध्य पत्राचार के माध्यम से तत्परतापूर्वक ठीक किया जायेगा और उसे करार में किसी प्रकार का उपान्तरण नहीं समझा जायेगा।

2.3 अनुलग्नक ''क'' से ''च'' के अनुसार चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण/संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी।

2.4 सम्बंधित राज्य द्वारा चलायी जाने वाली बसों के लिए सम्बंधित राज्यों द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार यात्री किराये प्रभारित किये जायेंगे।

2.5 इन राज्यों की मंजिली गाड़ी परमिट/लाइसेंस पर हस्ताक्षर इस सामान्य करार के प्रस्तर-**4** अधीन लागू कर के आधार पर किया जाएगा।

2.6 यदि किसी कारण से वैधता समाप्त होने से पूर्व परमिट/लाइसेंस के नवीकरण हेतु किसी आवेदन-पत्र का विनिश्चय करना सम्भव न हो पाया हो, तो मोटरयान अधिनियम, **1988** की धारा **87(1)(**घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी परमिट/लाइसेंस जारी कर सकता है।

2.7 सम्बन्धित राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा अपने राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मार्गों पर राज्य परिवहन उपक्रमों या उनके सहयोगी या राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के अन्य निजी संचालकों के मंजिली गाड़ियों से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत मार्गों या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, योजना में की गयी किसी व्यवस्था के अलावा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे मार्ग(मार्गों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) पर परमिट/लाइसेंस स्वीकृत या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा। परन्तु किसी भी खराबी या किसी आकस्मिकता के मामले में इन राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम (या सम्बन्धित राज्य में उनके सहयोगी) समझौते के किसी मार्ग पर स्वयं के बेड़े की किसी वाहन का संचालन कर सकेगे।

2.8 सम्बंधित राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समग्र सार्वजनिक मांग पर लिखित पारस्परिक करार द्वारा नये मार्गो पर मंजिली गाड़ियों की सेवायें जोड़ सकते हैं या किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। सम्बंधित राज्य द्वारा इस करार के अन्तर्गत लागू कर के अधीन ऐसी मंजिली गाड़ियों की सेवाओं के लिए परमिट/लाइसेंस का प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

2.9 मंजिली गाड़ियों के लिए कॉरीडोर व्यवस्थाः

2.9.1 मा**0** उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यह कॉरीडोर व्यवस्था केवल यात्रियों की आवाजाही तक सीमित है। एनसीआर के अन्य घटक राज्य भी एनसीआर के अन्य संघटक राज्यों के साथ पारस्परिक परामर्श से अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं की आवाजाही के लिए समान कॉरीडोर को परिभाषित कर सकते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2.9.2 कॉरीडर व्यवस्था के अधीन यातायात सबसे छोटे, सीधे और विनिर्दिष्ट मार्ग से ही सहभागी राज्यों में प्रवेश करेंगे तथा बाहर निकलेंगे।

2.9.3 एनसीआर के संघटक राज्यों के मध्य इस करार में की गयी व्यवस्था से इतर कॉरीडोर व्यवस्था का लाभ लेने वाला यातायात राज्य के कॉरीडोर के भीतर यात्रियों को न चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

2.9.4 कॉरीडोर राज्य को, कॉरीडोर राज्य द्वारा तय किये गये मार्ग से गुजरने वाले यातायात के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा।

3. <u>ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस</u>

3.1 मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा परमिट/लाइसेंस (गैर अस्थायी/गैर विशेष परमिट/लाइसेंस)

पैरा **5.4** के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करने वाली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कैब/आटो रिक्शा के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसे अन्य संघटक राज्यों में, ऐसी वाहनें अप्रतिबन्धित चल सकेंगी।

3.2 राज्य, जहां एनसीआर क्षेत्र में वाहन पंजीकृत है, में परमिट/लाइसेंस फीस जमा करने पर अतिरिक्त परमिट/लाइसेंस फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि इन वाहनों के परमिट/लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

3.3 एनसीआर क्षेत्र में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यीय संचालन अनुलग्नक- ।।। में दी गयी संख्या के अनुसार होगा। दिल्ली में आटो रिक्शा का अन्तर्राजयीय संचालन मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी संख्या की सीमा में छूट के अधीन होगा।

3.4 मोटर कैब/आटो रिक्शा/टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस (मोटरयान अधिनियम, **1988** के अधीन गैर अस्थायी परमिट)

शैक्षणिक संस्थान बसें जिनका उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों/स्टाफ को अपनी किसी भी गतिविधि के संबन्ध में परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है, सहित मोटर कैब से भिन्न वाहन जो पैरा **5.4** के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करते हैं और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत है, के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

3.5 ठेका गाड़ी परमिट लाइसेंस (मोटरयान अधिनियम, **1988** के अधीन अस्थायी/विशेष परमिट/लाइसेंस)

इन राज्यों के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर ध्यान न देते हुए यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परमिट/लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं। परमिट/लाइसेंस में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए वह क्रम जिसमें विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायगा, प्रत्येक स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के संकेत के साथ यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा।

3.6 इस सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत इन राज्यों के ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस इस करार के पैरा **4** में लागू कर के अधीन हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

4. <u>कराधान</u>

4.1 मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी के लिए लाइसेंस/परमिट फीस/प्रतिहस्ताक्षार फीस का निर्धारण सभी संघटक राज्यांं के सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी नीति के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि, एनसीआर में पंजीकृत किसी यान द्वारा एनसीआर के किसी राज्य में एक बार कर जमा कर दिया हो, एनसीआर में संचालन हेतु बिना किसी फीस/कर या ऐसे किसी कर जो अन्य नाम से पुकारा जाता हो, के बिना निम्न श्रेणियों के लिए एनसीआर के दूसरे घटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगाः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(एक) समस्त मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा।
(दो) समस्त शैक्षणिक संस्थान यान।
(तीन) एनसीआर के संघटक राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों की समस्त मंजिली बसें(नगर बस सेवायें सहित)

4.2 इस करार के अधीन जारी अस्थायी परमिट/लाइसेंस से सम्बंधित सूचना, रजिस्ट्रीकृत यान स्वामी (स्वामियों), यान का पंजीकृत लदान भार/मार्ग, जिसके लिये परमिट/लाइसेंस दिया गया हो और परमिट/लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि के विवरणों का उल्लेख करते हुए परमिट/लाइसेंस जारी करने वाले परिवहन प्राधिकारी द्वारा द्वारा करारकर्ता राज्य को यथाशक्य शीघ्र प्रदान की जायेगी। यह सूचना यथास्थिति परिवहन आयुक्त/सचिव, राज्य परिवहन विभाग के नाम से दी जायेगी।

4.3 इसके अतिरिक्त, अस्थायी परमिट/लाइसेंस सहित सभी परमिट (ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी, जैसा लागू हो) केवल, समय-समय पर अपडेटेड वाहन साफ्टवेयर पर जारी किये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे सभी परमिट/लाइसेंस का विवरण दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिवों के मध्य स्वचालित रूप से साझा किया जाये।

5. <u>सामान्य</u>

5.1 करारकर्ता राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में कर, टोकन, चालक और परिचालक लाइसेंस, परिवहन यान प्राधिकार पत्र और प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।

5.2 यह करार हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले **10** वर्षों के लिए या करारकर्ता राज्यों के मध्य नया करार हस्ताक्षरित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। करारकर्ता राज्यों द्वारा आपसी सहमति से करार को करार की समाप्ति की तिथि से अगले **5** वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो, करार को पांच वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जा सकता है।

5.3 सी ओ टी एस की वार्षिक बैठक अनिवार्य है और सी ओ टी एस के अध्यक्ष द्वारा क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु इसे बुलाया जा सकता है। एनसीआर के संघटक राज्यों के अनुरोध पर भी बैठक बुलायी जा सकती है। वार्षिक बैठकों में परिधीन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है और करार के ढांचे में परिवर्तन के लिए वार्षिक आधार पर पुनः अधिसूचना की जा सकती है।

5.4 केवल प्रचलित अथवा पंजीकरण के समय उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन जो भी बाद में हो, एनसीआर क्षेत्र में चल सकेंगी।

5.5 मंजिली गाड़ी वाहनों के साथ-साथ ठेका गाड़ी वाहनों की आयु सीमा डीजल वाहनों के लिए दस वर्ष और पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पन्द्रह वर्ष तक सीमित होगी जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता है। यद्यपि म**0** सर्वोच्च न्यायालय, मा**0** एनजीटी और भारत सरकार (एम ओ आर टी एच) के निर्देश, जैसा लागू हो, इन प्राविधानों पर अध्यारोही प्रभाव डालेगा।

5.6 जी एन सी टी दिल्ली से होकर संचालित होने वाली राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन बस सेवा के संचालन हेतु एनसीआर के संघटक राज्यों के परामर्श से जी एन सी टी दिल्ली, मा**0** सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक **20-11-97** और जीएनसीटी दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों में, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाय, कुछ कारीडोर निर्धारित कर सकता है

5.7 एनसीआर जिलों में चालकों के डेटाबेस, वाहन पंजीयन और अन्य आवश्यक सूचनाओं के कम्प्यूटीकरण की प्राथमिकता के आधार पर राज्य पहल करेंगे। आर एफ आई डी के उपयोग, गति नियंत्रण यंत्र, फास्ट टेग, ट्रामा केयर, सिंगल विन्डो टैक्स कलेक्शन, चालक के फिंगर प्रिन्ट की बार कोडिंग और जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी राज्य प्रयास करेंगे। सी ओ टी एस की प्रत्येक बैठक में प्रास्थिति पर चर्चा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.8 एनसीआर के संघटक राज्यों द्वारा इस करार के अन्तर्गत पंजीकृत सभी प्रकार की वाहनां के पंजीयन के सम्बन्ध में आर सी टी ए (ठेका गाड़ी/मंजिली गाड़ी) के लागू होने की प्रास्थिति प्रत्येक छः माह में अनुलग्नक-चार में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एन सी आर पी बी को प्रस्तुत की जायेगी। इसी प्रकार सभी श्रेणी की सीएनजी/विद्युत वाहनों की प्रास्थिति अनुलग्नक-पांच. के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी।

5.9 चालक सहित सभी परमिट/लाइसेंस धारक**,** चाहे स्थायी हों या अस्थायी**,** पुलिस सत्यापन के अधीन होगें।

5.10 सभी लोक सेवा यानों (जिन्हें नीचे उद्घृत मोर्थ की अधिसूचना**, 2016** द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी है**,** को छोड़कर) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**,** भारत सरकार की अधिसूचना संख्या **1095(**ई)**,** दिनांक **28-11-2018,** मोर्थ के आदेश संख्या **11028/12/2015-**एमवीएल**,** दिनांक **31-10-2018** द्वारा यथा अद्यतन अथवा समय-समय पर लागू वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या एक से अधिक आपात कालीन बटन लगाना अनिवार्य होगा। एनसीआर के संघटक राज्य **31-12-2018** तक पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय और कार्यवाही करेंगे।

5.11 पारस्परिक करार की शर्तों के अन्तर्गत जारी परमिट/लाइसेंस**,** सम्बन्धित राज्य के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रतिहस्ताक्षर फीस और इस करार के अनुसार उस राज्य के तत्समय अन्य देय करों के भुगतान पर सामान्यतः तत्काल प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

5.12 मोटरयान अधिनियम**, 1988** और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में करारकर्ता राज्य के राज्य परिवहन उपक्रम के विरूद्ध कोई निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख को यह निर्णीत करने के लिए संदर्भित किया जायेगा कि न्यायालय की शरण लेने की बजाय क्या विभागीय कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी।

5.13 इसके अतिरिक्त सभी संघटक राज्यों द्वारा निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी :-

(एक) एनसीआर के संघटक राज्य के उपयुक्त/लागू निर्देशों के अनुसार आरसीटीए (ठेका/मंजिली गाड़ी) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी वाहनों के लिए वाहन-स्थान ट्रैकिंग उपकरणों का फीड/सिगनल उपलब्ध कराया जाना होगा।

(दो) एनसीआर में पंजीकृत और सीमा पार चलने वाले आटो रिक्शा**,** मोटर कैब/टैक्सी और ठेका गाड़ी बसों की आसान पहचान के लिए एक कलर कोड एवं लोगो दिया जाना होगा।

(तीन) अस्थायी/गैर अस्थायी/संस्थागत परमिट/लाइसेंस से युक्त ये सभी वाहनें समय-समय पर जारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं सीएमवीआर**, 1989** के नियम 118 के प्राविधानों के अनुसार गति नियंत्रक उपकरणों के अधीन होंगी।

(चार) मंजिली/ठैका गाड़ी और/या कॉरीडोर ट्रांजिट का परमिट/लाइसेंस प्राप्त करने वाला कोई ट्रैफिक**,** उनकी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही के अधीन होगा।

(पांच) इस प्रकार वर्तमान में एनसीआर के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस)/सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए सभी घटक राज्य और अन्य हितधारक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों /चार्जिंग स्टेशनों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये कदमों के अनुसार ईवीसीएस/ सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगें। यद्यपि दिल्ली के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

साथ सीमा साझा करने वाले एनसीआर जिलों से दिल्ली के लिए आने वाले सभी वाहनें करार पर हस्ताक्षर होने के 3 वर्ष के अन्दर, उपलब्धता के अधीन, केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक या ऐसे स्वच्छ ईधन का उपयोग करेंगे। अन्य एनसीआर जिले इस करार पर हस्ताक्षर करने के 7 वर्षों में इसे हासिल करने का प्रयास करेंगे। एन सी आर पी बी अपनी 2017 की प्रतिबद्धता के अनुसार एम ओ पी एन जी के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

(छः) एनसीआर के संघटक राज्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर्स गाइडलाइन्स, 2020 की मंशा से एनसीआर में मोटर यान एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाने और सामंजस्य स्थापित करने के त्वरित कदम उठायेंगे।

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बद्ध निम्नलिखित पक्षकारों ने इस करार पर प्रथमतः ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया हैः-

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पक्ष में सरकार और उनकी ओर से

(राजेश कुमार सिंह),
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार
हरियाणा के राज्यपाल और उनकी ओर से

(शत्रुजीत कपूर)
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
हरियाणा सरकार,

साक्षी

(अर्चना अग्रवाल)
सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड,
नगरीय विकास मंत्रालय,
भारत सरकार।

एनसीटी दिल्ली के लिए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में और उनकी ओर से

(आशीष कुन्द्रा)
प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग,
एनसीटी दिल्ली सरकार, दिल्ली
राजस्थान के राज्यपाल और उनकी ओर से

(अभय कुमार)
प्रमुख सचिव
परिवहन विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।
साक्षी

(रवि प्रकाश)
निदेशक (संघ राज्य क्षेत्र)
नगरीय विकास मंत्रालय,
भारत सरकार।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-एक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र

केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित संघटक राज्यों की सरकारों की सहमति और बोर्ड की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र निम्नलिखित हैः-

(क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (**1,483** वर्ग किलोमीटर)। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का **2.7** प्रतिशत है।

(ख) हरियाणा उप क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद**,** गुड़गॉव**,** रोहतक**,** सोनीपत**,** रेवाड़ी**,** झज्जर**,** मेवात**,** पानीपत**,** भिवानी**,** महेन्दरगढ़**,** जिन्द और करनाल जिले (**25,327** वर्ग किलोमीटर) हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का **46** प्रतिशत है।

(ग) राजस्थान उप क्षेत्र जिसमें अलवर और भरतपुर जिले (**13,447** वर्ग किलोमीटर) है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का **24.3** प्रतिशत है।

(घ) उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र**,** जिसमें सात जिले अर्थात् मेरठ**,** गाजियाबाद**,** गौतमबुद्धनगर**,** बुलन्दशहर**,** बागपत**,** मुजफ्फर नगर और शामली जिले (**13,578** वर्ग किलोमीटर) सम्मिलित हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का **27** प्रतिशत है।

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल **55084** वर्ग किलोमीटर है**,** जैसा कि अनुलग्नक-दो में मानचित्र में इंगित किया गया है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-दो

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का घटक क्षेत्र

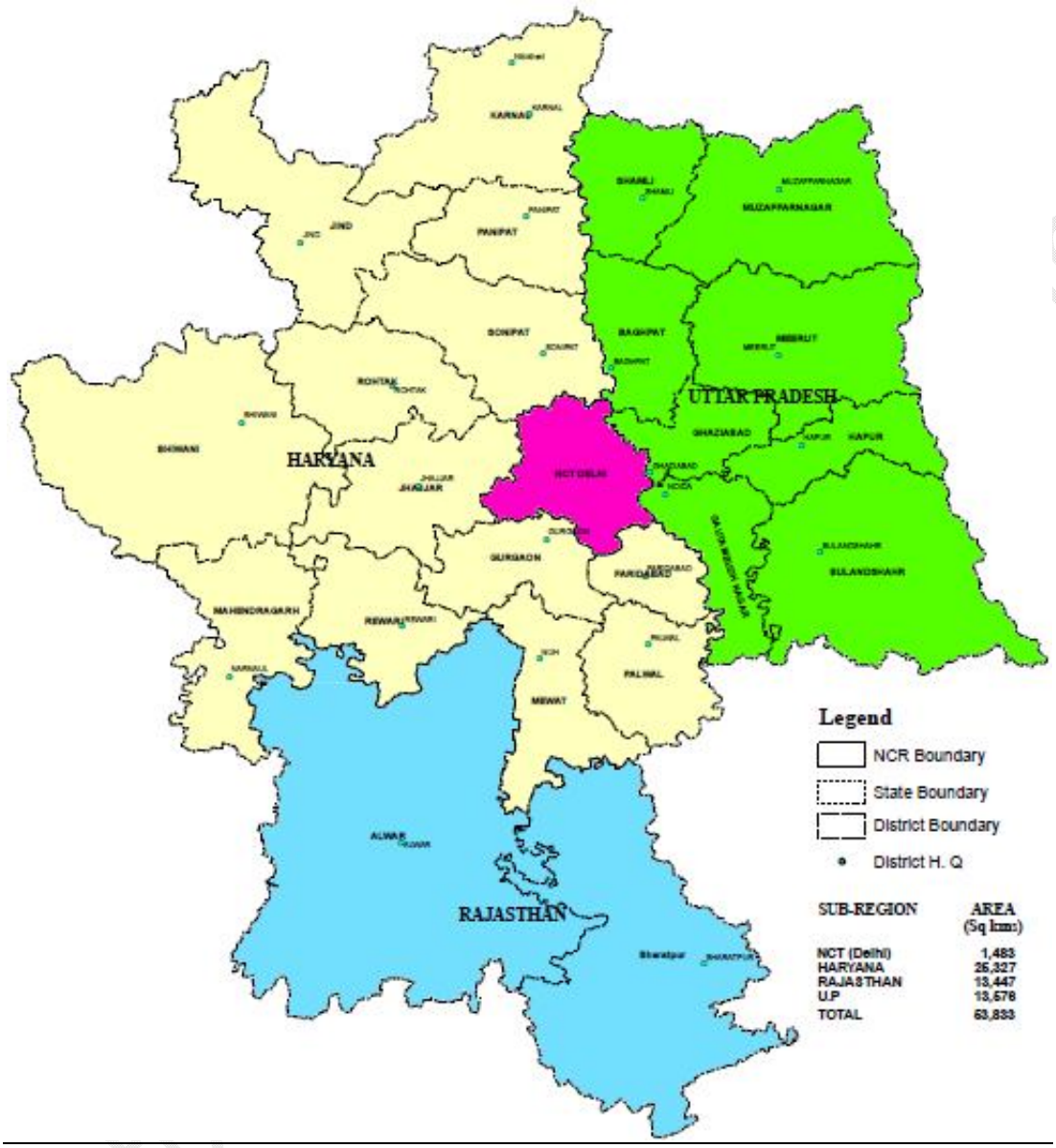

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-तीन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठेका गाड़ी के रूप में अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु आटो रिक्शा की संख्या

राज्य	से	तक	आटो रिक्शा की संख्या
दिल्ली-उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	5000
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	5000
दिल्ली-हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	5000
	हरियाणा	दिल्ली	5000
उत्तर प्रदेश-हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	1000
	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	1000
राजस्थान-हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	500
	हरियाणा	राजस्थान	500

पारस्परिक विनिश्चय से संशोधित किया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-तीन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठेका गाड़ी के रूप में अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु आटो रिक्शा की संख्या

राज्य	से	तक	आटो रिक्शा की संख्या
दिल्ली-उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	5000
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	5000
दिल्ली-हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	5000
	हरियाणा	दिल्ली	5000
उत्तर प्रदेश-हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	1000
	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	1000
राजस्थान-हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	500
	हरियाणा	राजस्थान	500

पारस्परिक विनिश्चय से संशोधित किया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-चार

पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के लागू होने की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

आर सी टी ए (ठेका गाड़ी) के अधीन राज्य पंजीकृत वाहनों हेतु जारी परमिट/लाइसेंस या स्वीकृत अनुज्ञा।

तक.....

पिछले छः माह.....

राज्य का नाम	टैक्सी	बस	आटो	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश				
दिल्ली				
राजस्थान				
हरियाणा				
पिछले छः माह में कुल				
क्रमिक योग				

अनुलग्नक-पांच

एनसीआर में पंजीकृत सभी प्रकार के सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

तक.....

पिछले छः माह.....

राज्य का नाम	टैक्सी	बस	आटो	अन्य कोई	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश					
दिल्ली					
राजस्थान					
हरियाणा					
पिछले छः माह में कुल					
क्रमिक योग					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-क

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

दिल्ली एवं राजस्थान

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	दिल्ली
1.	अलवर-दिल्ली वाया नौगांव सोहना	38	25	26	28	650	1064	13	16
2.	अलवर-दिल्ली वाया तिजारा	95	25	18	16	450	1520	9	8
3.	तिजारा-दिल्ली वाया धारूहेड़ा	37	25	38	0	950	0	19	0
4.	अलवर-दिल्ली वाया तिजारा सोहना-भिवाड़ी	94	25	12	0	300	0	6	0
5.	अलवर-दिल्ली-मेरठ	38	48	4	0	192	0	4	0
		302	148	98	44	2542	2584	51	24

टिप्पणी: बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-क-1

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

दिल्ली एवं राजस्थान
निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	दिल्ली
1.	दिल्ली-अलवर वाया हरियाणा	38	25	-	04	-	104	-	02

टिप्पणीः बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक -ख (ख-I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

दिल्ली एवं हरियाणा

निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1.	दिल्ली पानीपत वाया सोनीपत	72	28	-	52	3744	-	-	8
2.	दिल्ली-सोनीपत	22	28	-	4	88	-	-	1
3.	दिल्ली-खरखौदा वाया सांपला	36	37	-	6	144	-	-	2
4.	दिल्ली-गुड़गांव	10	25	60	54	540	1500	10	8
5.	महरौली- गुड़गांव	10	12	-	12	120	-	-	1
6.	दिल्ली-रेवाड़ी वाया सोहना	85	25	-	22	1870	-	-	9
7.	दिल्ली-पुनाना	100	25	-	4	400	-	-	1
8.	दिल्ली-होडल	71	13	-	4	284	-	-	2
9.	दिल्ली-पलवल	44	13	-	48	2112	-	-	12
10.	दिल्ली- रोहतक	53	37	-	6	318	-	-	3
11.	दिल्ली-बहादुरगढ़	3	37	-	33	99	-	-	6
12.	महरौली-बहादुरगढ़	3	40	-	4	12	-	-	1
13.	नरेला-बहादुरगढ़	3	23	-	18	54	-	-	2
14.	दिल्ली-बादली	3	36	-	30	90	-	-	1
15	दिल्ली-अलवर वाया हरियाणा	110	25	-	4	440	-	-	2
	योग			**60**	**299**	**10315**	**1500**	**10**	**59**

टिप्पणी:- दोनों राज्यों द्वारा इससे पहले प्रदान किये गये वैध परमिट, जिन पर निजी आपरेटरों की बसें परिचालित की जा रही हैं, इस समझौते की तारीख को भावी परिचालन हेतु इस समझौते का भाग मानी जायेगी।

- क्रम सं**0 1, 6** तथा **9** पर उल्लिखित रूटों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा क्रमशः **2, 2** तथा **3** परमिट प्रतिहस्ताक्षरित करेगी क्यांकि राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा निजी आपरेटरों को रिजर्व परमिट प्रदान किए गए हैं।
- दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गो का उक्त संचालन एम/एस एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक **20.11.1997** के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग,जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक **31.12.97** को निर्गत अधिसूचना के अनुसार होगा।
- बसें निर्धारित बस टर्मिनल से शुरू एवं समाप्त होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक (ख-।।)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

दिल्ली एवं हरियाणा

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1.	दिल्ली-अलवर वाया सोहना	111	-	-	30	3330	-	-	15
2.	दिल्ली-अलवर वाया तिजारा	90	-	-	20	1800	-	-	10
3.	केन्द्रीय (टर्मि.)-बादली	2	-	-	16	32	-	-	2
4.	आनन्द बिहार-बहादुरगढ़	3	-	-	60	180	-	-	15
5.	कर्मपुरा-बहादुरगढ	3	-	-	226	678	-	-	28
6.	नई दिल्ली रेलवे स्टे.- बहादुरगढ	3	-	-	168	504	-	-	21
7.	नरेला-बहादुरगढ	3	-	-	120	360	-	-	15
8.	अम्बेडकर स्टेडियम - बहादुरगढ वाया आईएसबीटी	3	-	-	80	240	-	-	20
9.	नई दिल्ली रेलवे स्टे.- बल्लभगढ़	17	-	-	40	680	-	-	10
10.	रिंग रोड-बल्लभगढ़	17	-	-	40	680	-	-	10
11.	सफदरजंग (टर्मि.)- बल्लभगढ़	17	-	-	80	1360	-	-	10
12.	दिल्ली-बड़ौत वाया	43	-	-	20	860	-	-	5
13.	दिल्ली-दादरी	80	-	-	10	800	-	-	5
14.	आनन्द बिहार-फरीदाबाद	17	-	-	60	1020	-	-	15
15	गाजियाबाद-फरीदाबाद	17	-	-	80	1360	-	-	20
16.	रिंग रोड--फरीदाबाद	17	-	-	200	3400	-	-	50
17.	सफदरजंग (टर्मि.)- फरीदाबाद	17	-	-	180	3060	-	-	23
18.	शाहदरा-फरीदाबाद	17	-	-	60	1020	-	-	15
19.	दिल्ली-फिरोजपुर झिरका	94	-	-	20	1880	-	-	10
20.	अम्बेडकर (स्टेडियम)- गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	10
21.	दिल्ली/आनन्द बिहार- गुड़गांव	10	-	-	60	600	-	-	15
22.	बदरपुर एक्सटेंशन- गुड़गांव	10	-	-	264	2640	-	-	33
23.	कश्मीरीगेट- गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	20
24.	नरेला- गुड़गांव	10	-	-	40	400	-	-	5
25.	उत्तम नगर- गुड़गांव	10	-	-	40	400	-	-	10
26.	आर0के0पुरम- गुड़गांव	10	-	-	200	2000	-	-	15
27.	शाहबाद डेरी- गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	20
28.	दिल्ली-गुड़गांव वाया फरीदाबाद	44	-	-	80	3520	-	-	20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
29.	बहादुरगढ़- गुड़गांव	13	-	-	194	2522	-	-	48
30.	दिल्ली-गुड़गांव वाया बहादुरगढ़ बजघेरा	10	-	-	50	500	-	-	13
31.	आनन्द बिहार- गुड़गांव	10	-	-	80	800	-	-	20
32.	करोलबाग- गुड़गांव	10	-	-	356	3560	-	-	49
33.	नोएडा- गुड़गांव	10	-	-	82	820	-	-	20
34.	नांगलोई- गुड़गांव	10	-	-	60	600	-	-	8
35.	सफदरजंग (टर्मि.)- गुड़गांव	10	-	-	176	1760	-	-	22
36.	सीमापुरी- गुड़गांव	10	-	-	52	520	-	-	13
37.	सीमापुरी- गुड़गांव वाया बदरपुर	10	-	-	56	560	-	-	14
38.	दिल्ली-होडल	70	-	-	20	1400	-	-	10
39.	दिल्ली-झज्जर	34	-	-	10	340	-	-	5
40.	दिल्ली-खरखौदा वाया बवाना	10	-	-	24	240	-	-	6
41.	आनन्द बिहार-कुण्डली	2	-	-	40	80	-	-	10
42.	दिल्ली-नगीना वाया सोहना	80	-	-	8	640	-	-	4
43	एयरपोर्ट-दिल्ली-एन आईआईटी फरीदाबाद	27	-	-	20	540	-	-	5
44.	दिल्ली-पानीपत वाया सोनीपत	75	-	-	40	3000	-	-	10
45	सीजीओ काम्पलैक्स- पालम विहार	9	-	-	16	144	-	-	2
46.	दिल्ली-पलवल	41	-	-	72	2952	-	-	18
47.	दिल्ली-पलवल वाया सोहना	73	-	-	20	1460	-	-	5
48.	दिल्ली-पानीपत-गुहाना-रोहतक-दिल्ली	173	-	-	10	1730	-	-	10
49.	दिल्ली-पटौदी	35	-	-	10	350	-	-	5
50.	दिल्ली-पुनाहना	70	-	-	10	700	-	-	5
51.	करोलबाग-राजीव चौक	13	-	-	64	832	-	-	8
52.	दिल्ली-रेवाड़ी	69	-	-	30	2070	-	-	15
53.	दिल्ली-रोहतक-गुहाना-पानीपत-दिल्ली	173	-	-	10	1730	-	-	10
54.	दिल्ली-रोहतक	48	-	-	40	1920	-	-	10
55.	दिल्ली-रोहतक-गुहाना-सोनीपत-दिल्ली	140	-	-	10	1400	-	-	10
56.	दिल्ली-रोहतक-खरखांदा-सोनीपत-दिल्ली	125	-	-	10	1250	-	-	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
57.	करोलबाग-सोहना	35	-	-	50	1750	-	-	13
58.	दिल्ली-सोहना वाया पलवल	73	-	-	30	2190	-	-	8
59.	दिल्ली-सोनीपत	23	-	-	50	1150	-	-	13
60.	दिल्ली-सोनीपत-गुहाना-रोहतक-दिल्ली	140	-	-	10	1400	-	-	5
61.	दिल्ली-सोनीपत-खरखौदा - रोहतक-दिल्ली	125	-	-	10	1250	-	-	10
	योग -				**4154**	**77364**			**861**

टिप्पणीः- हरियाणा के अनुमति प्राप्त आई एस बी टी के अलावा अन्य अतिरिक्त स्थानों (प्वाइंट्स) को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गो का उक्त संचालन एम/एस एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक **20.11.1997** के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग, जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक **31.12.1997** को जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक (ख-।।।)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

हरियाणा तथा दिल्ली
राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1.	गुड़गांव-बल्लभगढ़ वाया महरौली, बदरपुर	आया नगरा, खानपुर, बदरपुर	-	23	140	-	-	3220	28	-
2.	एनआईटी-कश्मीरी गेट वाया बदरपुर, आश्रम, सराय काले खां	बदरपुर, कालका मोड़, आश्रम	-	25	60	-	-	1500	6	-
3.	एनआईटी-ग्रेटर नोएडा वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	-	15	20	-	-	300	2	-
4.	एनआईटी-बहादुर गढ़ वाया बदरपुर, महरौली, ईफको चौक	बदरपुर, खानपुर, आया नगर	-	50	52	-	-	2600	13	-
5.	एनआईटी-सराय काले खां वाया बदरपुर, आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	13	56	-	-	728	7	-
6.	बल्लभगढ़-सफदर जंग (ट.) वाया बदरपुर, आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	17	42	-	-	714	7	-
7.	बल्लभगढ़-सराय काले खां वाया बदरपुर आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	13	42	-	-	546	7	-
8.	एनआईटी-एयर पोर्ट वाया बदरपुर, खानपुर, महरौली ईफको चौक	बदरपुर, खानपुर, आया नगर	-	31	12	-	-	372	2	-
9.	बल्लभगढ़-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वाया बदरपुर आश्रम, दिल्ली गेट	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	25	40	-	-	1000	5	-
10.	बल्लभगढ़-नार्थ कैम्पस वाया बदरपुर-	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	31	20	-	-	620	5	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	सरायकाले खां, कश्मीरीगेट									
11.	एनआईटी-आनन्द विहार वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज, नोएडा	बदरपुर, सरिता विहार, गाजीपुर मोड़	-	25	50	-	-	1250	5	-
12.	एनआईटी-केन्द्रीय सचिवालय, वाया बदरपुर, आश्रम, एम्स, सफदरजंग एयरपोर्ट	बदरपुर, आश्रम, एम्स	-	25	40	-	-	1000	5	-
13.	बल्लभगढ़-सफदरजंग (ट) वाया नेहरू प्लेस, आर0के0पुरम	बदरपुर, नेहरू प्लेस, आर0के0पुरम	-	25	60	-	-	1500	10	-
14.	फरीदाबाद- नजफगढ़ वाया बदरपुर, महरौली, कापसहेड़ा	बदरपुर, महरौली, बिजवासन	-	48	60	-	-	2880	15	-
15	एनआईटी-नोएडा वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	-	15	30	-	-	450	3	-
16.	एनआईटी-नेहरू प्लेस, वाया बदरपुर, कालका मोड़	बदरपुर, मदानपुर खादर, कालका मोड़	-	10	40	-	-	400	5	-
17.	एनआईटी-दिल्ली गेट वाया बदरपुर, आश्रम, रिंग रोड	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	-	20	40	-	-	800	4	-
18.	एनआईटी-हौज खास वाया बदरपुर, खानपुर, आउटर रिंग रोड़	बदरपुर, खानपुर, लाडो सराय	-	18	40	-	-	720	5	-
19.	गुड़गांव-आईएसबी टी कश्मीरीगेट, वाया धौला कुआं, रिंज रोड, फिल्मिस्तान	महिलपालपुर धौला कुआं, रिज़ रोड	-	31	80	-	-	2480	8	-
20.	ढांसा बार्डर-आई एस बीटी कश्मीरी गेट वाया	नजफगढ़, नांगलोई, पीरागढ़ी	-	36	30	-	-	1080	5	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	नजफगढ़,नांगलोई, पीरागढ़ी, मधुबन चौक									
21.	प्याऊ मनियारी कुंडली-आईएस बीटी कश्मीरीगेट वाया जीटीके बाईपास, आउटर रिंग रोड	सिंघु बार्डर, अलीपुर, जीटीके बाईपास	-	28	20	-	-	560	2	-
22.	प्याऊ मनियारी कुंडली-एयरपोर्ट-वाया नरेला, बहादुरगढ़ नजफगढ़	सिंघु बार्डर, नरेला, नजफगढ़	-	42	12	-	-	504	2	-
23.	प्याऊ मनियारी कुंडली-आनन्द विहार वाया वजीराबाद, भजनपुरा	सिंघु बॉर्डर, जीटीके बाईपास, वजीराबाद	-	45	40	-	-	1800	5	-
24.	बहादुरगढ़-सफदर जंग (ट) वाया पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, रिंग रोड	नांगलोई, पीरागढ़ी, धौलाकुंआ	-	42	40	-	-	1680	5	-
25.	बहदुरगढ़-एयर पोर्ट वाया नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	-	26	12	-	-	312	2	-
26.	बहदुरगढ़-आईएस बीटी कश्मीरीगेट वाया नांगलोई, पीरागढ़ी, मधुबन चौक, जीटीके बाईपास	नांगलोई, पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास	-	37	60	-	-	2220	6	-
27.	बहदुरगढ़-गुड़गांव वाया नजफगढ़, बिजवासन	नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	-	26	156	-	-	4056	20	-
28.	बहदुरगढ़-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 वाया पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, सराय रोहिल्ला पहाड़गंज	पीरागढ़ी, पंजाबीबाग, करोलबाग	-	30	50	-	-	1500	5	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
29.	बहदुरगढ़-आनन्द विहार वाया पीरागढ़ी, मधुबन चौक, वजीराबाद ब्रिज, भजनपुरा	पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास, वजीराबाद ब्रिज	-	57	20	-	-	1140	5	-
30.	बहदुरगढ़-नोएडा वाया पीरागढ़ी, मधुबन चौक, आउटर रिग रोड, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, राजघाट, निजामुद्दीन ब्रिज	पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास, कश्मीरीगेट	-	52	20	-	-	1040	5	-
31.	गुड़गांव-करोल बाग वाया धौला कुआं	महिपालपुर, पालम मोड़, धौलाकुआं	-	23	20	-	-	460	2	-
32.	गुड़गांव-केन्द्रीय सचिवालय वाया धौलाकुआं, 11 मूर्ति, राम मनोहर लोहिया अस्पताल	धौलाकुआं, 11 मूर्ति, राम मनोहर लोहिया अस्पताल	-	25	24	-	-	600	4	-
33.	गुड़गांव-ग्रेटर नोएडा वाया धौला कुआं, एम्स, आश्रम, सरिता विहार कालिन्दी कुंज	एम्स, आश्रम, सरिता विहार	-	30	10	-	-	300	2	-
34.	गुड़गांव-आईएस बीटी, कश्मीरी गेट वाया एयरपोर्ट, धौला कुआं, रिज रोड, फिल्मिस्तान	समलखा क्रासिंग, एयरपोर्ट, धौलाकुआं	-	36	20	-	-	720	2	-
35.	गुड़गांव-बहादुर गढ़ वाया बजघेरा	छावला, नजफगढ़, झरौदा गांव	-	20	100	-	-	2000	10	-
36.	गुड़गांव-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 वाया धौला कुआं, रिज रोड, पहाड़गंज	धौला कुआं, रिज रोड, पहाड़गंज	-	31	54	-	-	1674	9	-
37.	गुड़गांव-सराय कालेखां, वाया	महिपालपुर, धौला कुंआ,	-	25	46	-	-	1150	5	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	धौलाकुआं, आश्रम	एम्स								
38.	गुड़गांव-जेएलएन स्टेडि0 वाया महरौली, सफदर जंग, सीजीओ काम्पलेक्स	महरौली, सफदरजंग सीजीओ काम्पलैक्स	-	25	36	-	-	900	3	-
39.	गुड़गांव-कें0 सचिवालय वाया धौला कुआं, तीन मूर्ति, कृषि भवन	धौला कुआं, तीन मूर्ति कृषि भवन	-	25	14	-	-	350	2	-
40.	गुड़गांव-मंगलापुरी वाया डुंडाहेड़ा, बिजवासन, नजफगढ़	समलखां क्रासिंग, बिजवासन, नजफगढ़	-	20	50	-	-	1000	5	-
41.	राजीव चौक गुड़गांव-नेहरू प्लेस वाया महरौली, खानपुर	महरौली, खानपुर, कालका जी	-	31	50	-	-	1550	5	-
42.	गुड़गांव-स0ज0 (टर्मि0) वाया महरौली, खानपुर	महरौली, खानपुर, चिराग दिल्ली	-	20	42	-	-	840	5	-
43	गुड़गांव-कें0 सचिवालय वाया महरौली, खानपुर, एम्स, स0ज0 एयरपोर्ट	महरौली, खानपुर, मेडिकल	-	31	50	-	-	1550	5	-
44.	गुड़गांव-आनन्द विहार वाया धौला कुआं, एम्स, सराय काले खां, निजामुद्दीन ब्रिज	धौलाकुआं, एम्स, सराय काले खां, निजीमुद्दीन ब्रिज	-	39	10	-	-	390	2	-
45	गुड़गांव-स0ज0 (ट0) वाया धौला कुआं, एम्स	महिलापुर, धौला कुआं, एम्स	-	20	10	-	-	200	1	-
46.	गुड़गांव-नोएडा वाया कुतुब, खानपुर, बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	कुतुब, खानपुर, बदरपुर	-	30	40	-	-	1200	4	-
47.	पानीपत-दिल्ली	-	-	28	80	-	-	2240	20	-
48.	पानीपत-अलवर वाया दिल्ली	-	-	65	2	-	-	130	1	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
49.	होडल-सराय कालेखां	-	-	13	18	-	-	234	6	-
50.	पलवल-सराय कालेखां	-	-	13	66	-	-	858	17	-
51.	पलवल-सोनीपत	-	-	53	10	-	-	530	5	-
52.	सोनीपत-दिल्ली	-	-	28	194	-	-	5432	57	-
53.	अलवर-सराय कालेखां	-	-	25	30	-	-	750	15	-
54.	सोहना-सराय कालेखां	-	-	25	44	-	-	1100	11	-
55.	खरखौदा-दिल्ली वाया बवाना	-	-	36	110	-	-	3960	27	-
56.	जखौली-दिल्ली	-	-	28	28	-	-	784	4	-
57.	रेवाड़ी-सराय कालेखां	-	-	25	70	-	-	1750	20	-
58.	बावल-सराय कालेखां	-	-	25	6	-	-	150	2	-
59.	गुरावर-सराय कालेखां	-	-	25	2	-	-	50	1	-
60.	रेवाड़ी-सराय कालेखां वाया सोहना	-	-	25	28	-	-	700	7	-
61.	रोहतक-दिल्ली	-	-	37	54	-	-	1998	15	-
62.	रोहतक-गुड़गांव वाया बहादुरगढ़	-	-	26	80	-	-	2080	20	-
63.	पालंगी-दिल्ली	-	-	37	2	-	-	74	1	-
64.	रोहतक-दिल्ली वाया सोनीपत	-	-	28	12	-	-	336	6	-
65.	गिरावर-गुड़गांव वाया दिल्ली	-	-	74	4	-	-	296	2	-
66.	फरमाना-दिल्ली	-	-	36	2	-	-	72	1	-
67.	किलौली-दिल्ली	-	-	37	4	-	-	148	2	-
68.	रोहतक-फरीदा बाद वाया कश्मीरी गेट	-	-	62	20	-	-	1240	10	-
69.	गुहाना-दिल्ली वाया सोनीपत	-	-	28	92	-	-	2576	23	-
70.	सोनीपत-गुड़गांव वाया बहादुरगढ़	-	-	26	4	-	-	104	1	-
71.	गुहाना-दिल्ली वाया खरखौदा	-	-	36	30	-	-	1080	8	-
72.	झज्जर-दिल्ली	-	-	37	50	-	-	1850	13	-
73.	खेड़ी आसरा- गुड़गांव वाया नजफगढ़	-	-	26	2	-	-	52	1	-
74.	कोठकासिम- सराय	-	-	25	4	-	-	100	2	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	कालेखां									
75.	अलवर-सराय कालेखां वाया तिजारा	-	-	25	8	-	-	200	4	-
76.	मातनहेल-दिल्ली	-	-	37	2	-	-	74	1	-
77.	बेरी-दिल्ली	-	-	37	14	-	-	518	4	-
78.	गुड़गांव-रेहतक वाया बदानी	-	-	26	2	-	-	52	1	-
79.	फिरेजपुर झिरका-सराय कालेखां	-	-	25	14	-	-	350	7	-
80.	पुनहना-सराय कालेखां	-	-	25	20	-	-	500	5	-
81.	नूह-सराय कालेखां	-	-	25	14	-	-	350	7	-
82.	तिजारा-सराय कालेखां	-	-	25	16	-	-	400	8	-
	योग-			**2069**	**2720**			**75416**	**585**	

टिप्पणीः- हरियाणा के अनुमति प्राप्त आई एस बी टी के अलावा अन्य अतिरिक्त स्थानों (प्वाइंट्स) को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गो का उक्त संचालन एम/एस एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक **20.11.1997** के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग, जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक **31.12.1997** को जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रस्तावित 61 नये मार्ग

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1.	भिवाड़ी-दिल्ली- गुरूग्राम			62	02			124	01	
2.	भिवानी-दिल्ली- पलवल			62	04			248	02	
3.	भिवानी-दिल्ली- फरीदाबाद			62	04			248	02	
4.	भिवानी-दिल्ली वाया रोहतक			37	24			888	12	
5.	शिवानी-दिल्ली वाया भिवानी			37	02			74	01	
6.	भिवानी- दिल्ली वाया बहादुरगढ़			37	04			148	02	
7.	भिवानी-होडल वाया दिल्ली			62	02			124	01	
8.	एनआईटी-नेहरू प्लेस वाया बहादुरपुर कालका मोड़			10	08			80	02	
9.	पुन्हाना-दिल्ली वाया सोहना			25	02			50	01	
10.	पलवल-दिल्ली वाया बल्लभगढ़			13	04			52	02	
11.	बल्लभगढ़-सफदरजंग			18	08			144	04	
12.	फरीदाबाद-सफदरजंग			18	08			144	04	
13.	बल्लभगढ़-सरायेकाले खां			13	06			78	03	
14.	फरीदाबाद-दिल्ली		..	13	04	..	..	52	2	
15	पानीपत वाया सोनीपत-दिल्ली			28	04			112	02	
16.	फरीदाबाद-भिवानी वाया गुरूग्राम			22	04			88	02	
17.	फरीदाबाद-जिंद वाया दिल्ली			22	02			44	01	
18.	गुरूग्राम-आनन्दविहार			41	08			164	04	
19.	गुरूग्राम-सरायेकाले खां		-	31	08	-	-	124	04	
20.	गुरूग्राम-बहादुरगढ़ वाया बजरघेड़ा			20	06			80	08	
21.	पलवल-होडल-दिल्ली			20	10			200	05	
22.	पलवल-दिल्ली वाया फरीदाबाद		-	20	10	-	-	200	05	
23.	होडल-सरायेकाले खां			20	12			240	06	
24.	पलवल-सरायेकाले खां			20	10			200	05	
25.	पुन्हाना-सरायेकाले खां			20	04			80	02	
26.	बहूझोलरी-दिल्ली वाया झज्जर		-	37	06	-	-	222	03	
27.	बेरी-दिल्ली वाया सम्पला			37	02			74	01	
28.	झज्जर-बदली-दिल्ली			56	14			784	07	
29.	च0 दादरी-दिल्ली वाया झज्जर		-	37	24	-	-	888	12	
30.	करनाल-गुरूग्राम वाया दिल्ली		-	59	02	-	-	118	1	
31.	नूह-सरायेकाले खां			31	06			186	03	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
32.	नरनौल-सरायेकाले खां		-	25	20	-	-	500	10	
33.	रोहतक-दिल्ली			37	32			1184	08	
34.	भिवानी-दिल्ली वाया बहादुरगढ़			37	16			592	04	
35.	जिंद-दिल्ली वाया रोहतक			37	04			148	02	
36.	किलोई-दिल्ली वाया खरखोंदा			36	02			72	01	
37.	पोलांगी-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
38.	रोहतक-गुरूग्राम वाया बहादुरगढ़			18	16			288	04	
39.	रोहतक-गुरूग्राम वाया दिल्ली			18	20			360	05	
40.	रेवाड़ी-सरायेकाले खां			25	20			500	05	
41.	रेवाड़ी-बैजनाथ वाया दिल्ली			59	02			118	02	
42.	कोशली-सरायेकाले खां			25	06			150	03	
43	नरनौल-सरायेकाले खां			25	10			250	05	
44.	रितहल-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
45	रूड़की-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
46.	गोरड़-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
47.	कटवाल-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
48.	मोहीहुदा-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
49.	गुहना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
50.	मतिंदू-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
51.	जसराणा-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
52.	रिधऊ-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
53.	गोरड़-बखेटा-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
54.	गोरड़-सिलाना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
55.	थाना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
56.	बिधलन-सिलाना-दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
57.	सेहरी-वाया खरखोदा-दिल्ली			36	02			72	01	
58.	सोनीपत-नरनौल वाया दिल्ली			59	04			236	02	
59.	सोनीपत-फरीदाबाद वाया दिल्ली			53	02			106	01	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
60.	सोनीपत-होडल वाया दिल्ली			53	02			106	01	
61.	सोनीपत-नरेला			02	20			40	02	
	योग			**1865**	**1250**			**12080**	**180**	

टिप्पणीः- हरियाणा के अनुमति प्राप्त आई एस बी टी के अलावा अन्य अतिरिक्त स्थानों (प्वाइंट्स) को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से शुरू और समाप्त होने वाले मार्गो का उक्त संचालन एम/एस**0** एम**0**सी**0** मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक **20.11.1997** के निर्देश के अनुपालन में परिवहन विभाग, जी एन सी टी डी द्वारा दिनांक **31.12.1997** को निर्गत अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-(ग-I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश

निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उत्तर प्रदेश	दिल्ली
1.	गाजियाबाद-दिल्ली	15.0	19	44	88	836	1320	11	10
2.	गढ़-दिल्ली	66.0	19	152	54	2888	3564	38	20
3.	मुरादनगर-असालतपुर-दिल्ली	33.7	11	16	14	176	232	04	04
	कुल	**114.7**	**49**	**212**	**156**	**3900**	**5136**	**53**	**34**

टिप्पणीः- दोनों राज्यों द्वारा पूर्व में जारी वैध परमिट जिन पर निजी संचालकों की बसें वर्तमान में संचालित हैं, आगामी संचालन के लिए इस समझौते के अंग माने जायेंगे।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक (ग-।।)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	उ0प्र0 में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
1.	(ए.आई.आई.एम.एस.) (दिल्ली)- विवेकानन्द नगर (गाजियाबाद)	मोहन नगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड नया/पुराना	19	-	-	80	-	1520	-	20
2.	शिवाजी स्टेडियम (दिल्ली)- एएल टीसी गाजियाबाद	मोहन नगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड न्यू/पुराना	17	-	-	160	-	2720	-	20
3.	दिल्ली गुड़गांव वाया नोएडा	इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-19, खोड़ा, कॉलोनी	25	-	-	86	-	2150	-	23
4.	भजनपुरा (दिल्ली) - गाजियाबाद	पसौंडा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	-	-	320	-	4480	-	27
5.	मोरी गेट (दिल्ली) - गाजियाबाद	पसौंडा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	-	-	80	-	1120	-	10
6.	दिल्ली-गाजियाबाद - फरीदाबाद	पसौंडा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	-	-	100	-	1400	-	25
7.	शिवाजी स्टेडि0 (दिल्ली)- इन्द्रापुरम	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर, वैशाली	6	-	-	24	-	144	-	3
8.	आर0के0पुरम (दिल्ली)- ग्रेटर नोएडा	अट्टा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	-	-	40	-	1480	-	10
9.	कतवरियासरायं(दिल्ली- इन्दिरापुरम	महाराजपुर बार्डर, डाबर, वैशाली	7	-	-	4	-	28	-	1
10.	कश्मीरीगेट (दिल्ली)-ग्रेटर नोएडा	अट्टा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	-	-	32	-	1184	-	8
11.	नई दिल्ली/पुराना रेलवे स्टे0 (दिल्ली) -ग्रेटर नोएडा	अट्टा चौक, बाघेल, खुलेसरा	37	-	-	40	-	1480	-	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	उ0प्र0 में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
		गांव								
12.	शिवाजी स्टेडि0 (दिल्ली)-परिवहन अपार्टमेन्ट	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर कौशाम्बी	6	-	-	40	-	240	-	5
13.	शिवाजी स्टेडि0 (दिल्ली)-विजय नगर	खोड़ा, मकनपुर, विजयनगर क्रासिंग	10	-	-	32	-	320	-	4
14.	शाहदरा-फरीदाबाद वाया नोएडा	अट्टा चौक, सै0-37, इंटर नेशनल स्कूल	15	-	-	42	-	630	-	11
15	ओखला इडि0 ईस्टेट-लोनी/ रामेश्वर पार्क	लोनी बॉर्डर	2	-	-	16	-	32	-	2
16.	दिल्ली-अनूपशहर	बुलन्दशहर, शिवाली, जगीराबाद	116	-	-	12	-	1392	-	6
17.	दिल्ली-अहार	बुलन्दशहर, शिवाली, जगीराबाद	112	-	-	4	-	448	-	2
18.	दिल्ली-बड़ौत	लोनी, खेखड़ा बागपत	44	-	-	10	-	440	-	3
19.	दिल्ली-बड़ौत वाया सोनीपत	गौरीपुर, सरूरपुर	16	-	-	20	-	320	-	5
20.	दिल्ली-बुलन्दशहर वाया सिकन्दराबाद	लालकुंआं, दादरी, सिकन्दराबाद	69	-	-	60	-	4140	-	15
21.	दिल्ली-गढ़, ब्रिज घाट	गाजियाबाद बस स्टैण्ड, हापुड़, बाबूगढ़	82	-	-	30	-	2460	-	15
22.	दिल्ली-हापुड़	मोहननगर, गाजियाबाद बस स्टेण्ड, पिलखुआ	47	-	-	42	-	1974	-	12
23.	दिल्ली-हस्तिनापुर	मोहन नगर, मोदी नगर, मेरठ	95	-	-	8	-	760	-	4
24.	दिल्ली-खुर्जा	लालकुआं, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर	88	-	-	30	-	2640	-	8
25.	दिल्ली-मेरठ	मोहननगर, मुरादनगर, मोदीनगद	56	-	-	150	-	8400	-	38
26.	दिल्ली-एनटीपीसी (गाजियाबाद)	मोहन नगर, गाजि0 बस स्टैण्ड, मुस्सरी	39	-	-	6	-	234	-	2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	उ0प्र0 में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
27.	दिल्ली-नगली साहिब	मोहननगर, मोदी नगर, मेरठ	90	-	-	4	-	360	-	2
28.	दिल्ली-नरौरा	बुलन्दशहर, शिकारपुर,देबई	139	-	-	8	-	1112	-	4
29.	दिल्ली-परीक्षितगढ़	मोहननगर, मोदी नगर, मेरठ	83	-	-	4	-	332	-	2
30.	दिल्ली-रामघाट	बुलन्दशहर, शिकारपुर,देबई	136	-	-	6	-	816	-	3
31.	दिल्ली-रटोल	लोनी, बघौत, चिरोरी	19	-	-	8	-	152	-	2
	योग-					**1498**		**44908**		**302**

टिप्पणीः- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो**,** स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड **2(**सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक (ग-।।।)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
1.	अमीन नगर सराय-दिल्ली	-	-	12	10	-	120	-	5	-
2.	अहर-दिल्ली	-	-	3	6	-	18	-	3	-
3.	अनूपशहर-दिल्ली	-	-	3	6	-	18	-	3	-
4.	अनूपशहर-दिल्ली एयरपोर्ट वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	40	18	-	720	-	9	-
5.	बागपत-दिल्ली	-	-	12	26	-	312	-	8	-
6.	बड़ौत-दिल्ली	-	-	12	26	-	312	-	8	-
7.	बड़ौत-दिल्ली एयर पोर्ट वाया कश्मीरी गेट, सराय काले खां, नेहरूनगर, श्रीनिवासपुरी, डिपो, कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, आईआईटी गेट, मुनिरका, बसंत विहार, महिपालपुर क्रासिंग, रंगपुरी	नेहरू प्लेस, महिपालपुर क्रासिग	-	40	8	-	320	-	4	-
8.	बड़ौत-दिल्ली एयरपोर्ट वाया कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, रिंग रोड, (ए.आई.आई.एम.एस.), महरौली, कुतुब, अंधेरिया मोड़, किसान गढ़, महिपालपुर,	सराय कालेखां, महरौली	-	48	8	-	384	-	4	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	रंगपुरी									
9.	बड़ौत-दिल्ली केन्द्रीय सचिवालय वाया कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट, विवेकानन्द मार्ग, रीगल	दिल्ली गेट, रीगल	-	26	8	-	208	-	4	-
10.	बड़ौत-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 वाया कश्मीरीगेट, राजघाट, दिल्ली गेट	कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट	-	20	8	-	160	-	4	-
11.	बड़ौत-नोएडा वाया दिल्ली; लोनी रोड क्रासिंग, नंद नगरी, आनन्द ग्राम, सीमापुरी, सूर्या नगर, आनन्द बिहार, आईएसबीटी एनएच-24, कल्याणपुरी, दल्लूपुरा	एल आर क्रासिंग आनन्द विहार	-	22	8	-	176	-	4	-
12.	बड़ौत-फरीदाबाद वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, आश्रम, बदरपुर बार्डर	सराय कालेखां, बदरपुर	-	37	8	-	296	-	4	-
13.	बड़ौत-गुड़गांव वाया दिल्ली; कश्मीरी गेट, बर्फखाना, फैज रोड, रिज रोड, धौला कुआं	रिज़ रोड, धौला कुआं	-	49	8	-	392	-	4	-
14.	बड़ौत-दिल्ली वाया बहलगढ़ नरेला, सिंघ बॉर्डर, अलीपुर जीटीके बाईपास, आउटर रिंग रोड	सिंघु बॉर्डर, जीटीके बाईपास	-	37	12	-	444	-	6	-
15.	बड़ौत-पलवल वाया दिल्ली; कश्मीरी गेट,	सराय कालेखां, बदरपुर	-	37	12	-	444	-	6	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	सराय कालेखां, आश्रम, बदरपुर बॉर्डर									
16.	बड़ौतअलवर वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट सराय कालेखां, आश्रम, धौलकुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	-	49	6	-	294	-	3	-
17.	बिनौली-अलवर वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, आश्रम, धौलकुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	-	48	4	-	192	-	2	-
18.	बुलनन्दशहर- गुड़गांव वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलकुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	-	45	4	-	180	-	2	-
19.	बुलन्दशहर-दिल्ली	-	-	3	90	-	270	-	45	-
20.	चांदी नगर-दिल्ली	-	-	12	10	-	120	-	5	-
21.	छपरौली-दिल्ली	-	-	12	30	-	360	-	10	-
22.	छपरौली-नईदिल्ली रेलवे स्टे0 वाया कश्मीरी गेट, राजघाट,दिल्लीगेट	-	-	20	8	-	160	-	4	-
23.	छपरौली-दिल्ली	-	-	12	10	-	120	-	5	-
24.	फलौदा-दिल्ली	-	-	11	4	-	44	-	2	-
25.	गढ़-दिल्ली	-	-	1	16	-	16	-	8	-
26.	गाजियाबाद- शिवाजी स्टे0 वाया महाराजपुर बॉर्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर, यूआर आईटीओ	-	14	18	-	252	-	3	-
27.	गाजियाबाद एयर पोर्ट वाया आनन्द विहार, महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24,	सराय कालेखां, धौला कुंआं	-	40	36	-	1440	-	18	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलाकुआं									
28.	हापुड़-दिल्ली	-	-	1	54	-	54	-	9	-
29.	हापुड़- शिवाजी स्टे0 वाया महाराजपुर बॉर्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर, यूआर आईटीओ	-	14	18	-	252	-	9	-
30.	हापुड़-फरीदाबाद वाया दिल्ली; महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलाकुआं	सराय कालेखां, बदरपुर	-	25	18	-	450	-	9	-
31.	हस्तिनापुर-दिल्ली	-	-	11	8	-	88	-	4	-
32.	जेवर-दिल्ली	-	-	3	3	-	9	-	1	-
33.	कैराना-दिल्ली	-	-	1	12	-	12	-	6	-
34.	कैराना-दिल्ली	-	-	12	8	-	96	-	4	-
35.	कांधला-दिल्ली	-	-	12	20	-	240	-	10	-
36.	कर्णवस-दिल्ली	-	-	3	2	-	6	-	1	-
37.	खतौली-दिल्ली	-	-	11	10	-	110	-	5	-
38.	खेकड़ा-दिल्ली	-	-	12	8	-	96	-	2	-
39.	खुर्जा-बल्लभगढ़ वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां आश्रम	सराय कालेखां बदरपुर	-	28	4	-	112	-	2	-
40.	खुर्जा-दिल्ली	-	-	3	54	-	162	-	27	-
41.	कोताना-दिल्ली	-	-	12	20	-	240	-	10	-
42.	कोताना-केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्ली	दिल्ली गेट, रीगल	-	26	4	-	104	-	2	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	गेट									
43	मेरठ-अलवर वाया दिल्ली; महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	48	2	-	96	-	2	-
44.	मेरठ-दिल्ली	-	-	11	158	-	1738	-	79	-
45	मेरठ-फरीदाबाद वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, धौला कुआं	सराय कालेखां, बदरपुर	-	36	4	-	144	-	2	-
46.	मेरठ-गुड़गांव वाया दिल्ली;एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	48	4	-	192	-	2	-
47.	मेरठ-दिल्ली वाया केन्द्रीय सचिवालय, महाराजपुर बार्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस, रीगल	शकरपुर आईटीओ	-	25	24	-	600	-	12	-
48.	मेरठ-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 वाया महाराजपुर बार्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर आईटीओ	-	19	24	-	456	-	12	-
49.	मेरठ-नेहरू प्लेस वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, देव कालेज,एसएनपीडी	सराय कालेखां, कालकाजी मंदिर	-	29	24	-	696	-	12	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	कालका मंदिर									
50.	मेरठ-रेवाड़ी वाया दिल्ली; महाराजपुर बार्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	48	2	-	96	-	2	-
51.	मेरठ-एयरपोर्ट वाया महरौल, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	59	24	-	1416	-	12	-
52.	मोदीनगर-दिल्ली वाया शाहदरा बार्डर	-	-	11	10	-	110	-	2	-
53.	नरोरा-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 आनन्द विहार, महाराजपुर बार्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर आईटीओ	-	18	8	-	144	-	4	-
54.	नरोरा-दिल्ली वाया शाहदरा	-	-	17	8	-	136	-	4	-
55.	नरोरा-केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, महाराजपुर बार्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	शकरपुर आईटीओ	-	27	8	-	216	-	4	-
56.	नरोरा-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 वाया आनन्द विहार, महाराजपुर बार्डर, के0के0 क्रासिंग,	शकरपुर आईटीओ	-	18	8	-	144	-	4	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग									
57.	नरोरा-एयरपोर्ट वाया नेहरू प्लेस, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	43	4	-	172	-	2	-
58.	नरोरा-एयरपोर्ट वाया महरौली, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	51	4	-	204	-	2	-
59.	एनटीपीसी.शिवाजी स्टेडि0 वाया महाराजपुर बॉर्डर, के0के0 क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	-	-	14	28	-	392	-	1	-
60.	एनटीपीसी-एयर पोर्ट वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	-	40	14	-	560	-	4	-
61.	परीक्षितगढ़-दिल्ली	-	-	11	4	-	44	-	2	-
62.	पाटला-दिल्ली	-	-	11	4	-	44	-	1	-
63.	राजघाट-दिल्ली	-	-	3	2	-	6	-	2	-
64.	रटोल-दिल्ली	-	-	12	20	-	240	-	5	-
65.	सरधना-दिल्ली	-	-	11	4	-	44	-	2	-
66.	शुक्रताल-दिल्ली	-	-	11	2	-	22	-	1	-
67.	सिकन्दराबाद-दिल्ली	-	-	3	28	-	84	-	7	-
68.	सियाना-दिल्ली	-	-	1	4	-	4	-	2	-
69.	टाण्डा-दिल्ली	-	-	12	8	-	96	-	4	-
70.	टान्डा-दिल्ली	-	-	12	22	-	284	-	11	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	योग-				**1107**		**18163**		**483**	
71.	नोएडा-एयरपोर्ट वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं	(ए.आई.आई.एम. एस.), धौला कुआं	-	27	14	-	378	-	4	-
72.	कासना-एयरपोर्ट वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं	(ए.आई.आई.एम. एस.), धौला कुआं	-	27	10	-	270	-	4	-
73.	नोएडा-एयरपोर्ट वाया कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालमा जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, बसंत विहार, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	26	6	-	156	-	2	-
74.	कासना-एयरपोर्ट वाया कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, बसंत विहार, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	26	4	-	104	-	2	-
75.	नोएडा-एयरपोर्ट वाया महरौली, कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, अधचीनी गांव, अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	34	6	-	204	-	2	-
76.	कासना-एयरपोर्ट वाया महरौली, कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, अधचीनी गांव, अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	-	34	6	-	204	-	2	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
77.	कासना-केन्द्रीय सचिवालय वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, संतनगर, सीजीओ, खान मार्केट, शाहजहां रोड, अकबर रांड, शास्त्री भवन	आश्रम, सीजीओ, काम्प्लैक्स	-	28	10	-	280	-	4	-
78.	नोएडा- केन्द्रीय सचिवालय वाया डीएनडी ब्रिल, आश्रम, संतनगर, सीजीओ, खान मार्किट, शाहजहां रोड, अकबर रांड, शास्त्री भवन	आश्रम, सीजीओ, काम्प्लैक्स	-	2	12	-	28	-	2	-
79.	कासना-नईदिल्ली रेलवे स्टे0 वाया एस0 स्टे0,समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, भगवानदास रोड, मंडी हाउस, स्टेट्समैन, मिंटो रोड, एनडीआरएस गेट नं0 2	प्रगति मैदान, प्लाजा मैरीना	-	18	12	-	216	-	12	-
80.	नोएडा-नई दिल्ली रेलवे स्टे0 वाया एस0स्टे0, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, भगवानदास रोड, मंडी हाउस, स्टेट्समैन, मिंटो रोड, एनडीआरएस गेट नं0	प्रगति मैदान, प्लाजा मैरीना	-	18	10	-	180	-	10	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	2									
81.	नोएडा-कश्मीरीगेंट वाय शाहदरा, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, मदर डेरी, शकर पुर, विकास मार्ग, स्वर्ण सिनेमा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, श्यामगिरी मंदिर	शकरपुर सीलमपुर	-	26	16	-	416	-	12	-
82.	कासना-कश्मीरी गेट वाया शाहदरा, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन ब्रिज, रिंग रोड, शांतिवन, यमुना बाजार	प्रगति मैदान क्रासिग, राजघाट	-	26	10	-	260	-	10	-
83.	कासना-कश्मीरी गेट वाया दल्लूपुरा, कांडली क्रासिग, गाजीपुर मोड, आनन्द विहार, शाहदरा बॉर्डर, सीमापुरी, आनन्द ग्राम, नंद नगरी, ज्योति कॉलोनी, बाबरपुर क्रासिंग, भजनपुरा	आनन्द विहार, भजनपुरा	-	24	8	-	192	-	8	-
84.	नोएडा-कश्मीरीगेट वाया दल्लूपुरा, कांडली क्रासिंग, गाजीपुर मोड, आनन्द विहार, शाहदरा बार्डर, सीमापुरी, आनन्द ग्राम, नंदनगरी, ज्योति कॉलोनी, बाबरपुर	आनन्द विहार, भजनपुरा	-	27	4	-	96	-	4	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
			उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0	दिल्ली	उ0प्र0 द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0	दिल्ली
	क्रासिग, भजनपुरा									
85.	कासना-फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	-	10	6	-	60	-	2	-
86.	नोएडा- फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	-	10	8	-	80	-	2	-
87.	दादरी- फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	-	10	2	-	20	-	2	-
88.	नोएडा-गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	-	27	4	-	108	-	2	-
89.	कासना- गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	-	27	8	-	216	-	4	-
90.	दादरी- गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	-	27	2	-	54	-	2	-
	योग -				**156**		**3762**		**92**	
	कुल योग-				**1263**		**21925**		**575**	

टिप्पणीः- उक्त परिचालन उत्तर प्रदेश के अनुमत आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त प्लाइंट्स को छोड़कर दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्ज एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20.11.97 को माननीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31.11.97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड 2(सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।
- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक -घ (घ-I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

हरियाणा एवं राजस्थान,

राजस्थान के निजी आपरेटर तथा राज्य परिवहन उपक्रम हरियाणा

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
1.	गुगलकोटा-रेवाड़ी वाया बरदोद	2	21	48	0	1008	0	12	0
2.	गुगलकोटा-रेवाड़ी वाया बावल	2	24	40	0	960	0	10	0
3.	मंधन-रेवाडी वाया कुंड	3	24	56	0	1344	0	14	0
4.	तिजारा-फिरोजपुर झिरका- नीमली-पैडासली-दहीका	16	8	36	0	288	0	9	0
5.	तिजारा-रेवाड़ी वाया छांवडी -भोंकर	30	35	16	0	560	0	8	0
6.	तिजारा-सोहना वाया छांवडी -भोंकर	31	24	8	0	192	0	4	0
7.	तिजारा-दिल्ली वाया बुढ़ी बवाल-भीवारी-तौरू-सोहना- गुड़गांव	31	57	12	0	684	0	12	0
8.	तिजारा-रेवाड़ी वाया माजरा- मंधाना-कोटकासिम	37	14	14	0	196	0	7	0
9.	तापुकडा-नूह वाया कोहरी- ग्वालदा	11	12	8	0	96	0	4	0
10.	शाहजहांपुर-रेवाड़ी वाया बवाल-तलावा	29	29	8	0	232	0	4	0
11.	बदोद-रेवाड़ी वाया जाट भोर- सनोली-भोजपुरा	31	21	16	0	336	0	8	0
12.	अलवर-फिरोजपुर जिरका वाया बहला-तेहगाड़ा-नाइका- पिपरोली-भैसडोली-बिजवा- नौगांव	56	14	12	.	168	0	6	0
13.	सारेगांव-धारूहेड़ा वाया खेड़ी-भोगीपुरा-तावरू शहर- सुनारी एक्सटेंडेंड अपटू रेवाड़ी वाया मसानी-जोनावास	12	36	12	0	432	0	3	0
14.	माजरा-कानवस-रेवाड़ी-बसई-नांगल-खुटिना	16	18	12	0	216	0	3	0
15.	रेवाड़ी-कोटकासिम	10	17	30	0	300	0	0	5
		317	**354**	**328**	**0**	**7012**	**0**	**104**	**5**

टिप्पणीः- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक -घ (घ-।।)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

राजस्थान तथा हरियाणा

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
1.	अलवर-दिल्ली वाया रामगढ़- नौगांव-फिरोजपुर झिरका- सोहना-गुड़गांव	40	103 31 दि.डी एल आई	20	30	2060	1200	10	15
2.	अलवर-फरीदाबाद वाया रामगढ़-नौगांव-फिरोजपुर झिरका-तौरू-सोहना-पलवल	40	120	2	2	240	80	1	1
3.	अलवर-दिल्ली वाया किसान घर बस-तिजारा-तपकुरा- भिवाड़ी-तौरू-सोहना-गुड़गांव	93	56 31 दि.डी एल आई	4	0	224	0	2	0
4.	अलवर-दिल्ली वाया तिजारा- भिवाड़ी-धारूहेड़ा-मनेसर- गुड़गांव	93	20 31 दि.डी एल आई	30	8	1470	744	15	4
5.	रेवाड़ी-अलवर वाया धारूहेड़ा-भिवाड़ी-तिजारा- किसानघरबस	93	20	4	2	80	186	2	1
6.	रेवाड़ी-अलवर वाया बोलनी-आलमपुर-बीबीरानी-किसान घरबस	70	17	4	2	80	186	0	0
7.	रेवाड़ी-खैरथल वाया बोलनी-आलमपुर-कोटकासिम- बीबीरानी	41	17	4	0	68	0	2	0
8.	खैरथल-दिल्ली वाया हरसोली-बीबीरानी- कोटकासिम-बोलनी-धारूहेड़ा-गुड़गांव	41	71	6	0	426	0	3	0
9.	खैरथल-दिल्ली वाया तिजारा-भिवाड़ी धारूहेड़ा- गुड़गांव	65	49	4	0	196	0	2	0
10.	तिजारा-दिल्ली वाया भिवाड़ी-धारूहेड़ा- गुड़गांव	38	49 31 दि.डी एल आई	20	8	980	304	10	4
11.	तिजारा-फरीदाबाद वाया भिवाड़ी-तावरू-सोहना	37	57	6	0	342	0	3	0
12.	अलवर-पानीपत वाया तिजारा	91	118	2	2	236	182	2	1
13.	अलवर-मेरठ वाया दिल्ली	38	111	4	0	0	444	4	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
			42दि. 56 उ0प्र0						
14.	अलवर-रोहतक वाया कोटपुतली-रेवाड़ी (नोटः- हांलांकि कटपुतली एनसीआर से बाहर हैं लेकिन बस शुरू और समाप्त होने के दोनों स्थान एनसीआर में है।)	105	70	0	2	0	210	0	2
15.	खैरथल-हस्तिनापुर वाया दिल्ली	55 हरि. 38 दि. 99 उ.प्र.	69	0	2	0	110	0	2
16.	फरीदाबाद-अलवर वाया सोहना-किशनगढ़	कुछ नहीं	93	2	0	186	0	1	0
17.	झज्जर-अलवर वाया रेवाड़ी-कोटकासिम-किशनगढ़	कुछ नहीं	70	2	0	140	0	1	0
18.	रेवाड़ी-कोटकासिम	10	17	30	0	300	0	0	5
						7038	**3600**		
	प्रस्तावित								
19.	अलवर-दिल्ली वाया नौगांव सोहाना	38			4		142		02
20.	गुरूग्राम-दिल्ली-अलवर	90	54	10	4	540	360	5	02
21.	पलवल-दिल्ली-अलवर	60			10		600		05
22.	तिजारा-फिरोजपुर-जिरका	16	6	6	06	36	96	3	03
23.	तपुकड़ा-नूह वाया खोरी गौलदा	11			04		44		02
24.	पलवल-दिल्ली-अलवर वाया सोहना	40			10		400		05
25.	रेवाड़ी-अलवर वाया बोलनी बिबरानी, किशनगढ़	70	20	4	4	80	280	2	02
						656	**1922**		

टिप्पणीः- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक -ड़0

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0 द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ0प्र0
1.	बड़ौत-कांधला-पानीपत	20	45	0	20	0	400	0	4
2.	बड़ौत-सोनीपत	21	15	16	36	240	756	4	2
3.	ब्रजघाट-गढ़-मेरठ-बागपत- सोनीपत	20	160	2	8	320	160	1	4
4.	दादरी-फरीदाबाद	17	43	0	24	0	408	0	8
5.	दादरी-गुड़गाव	10	43	0	8	0	80	0	2
6.	कासना-फरीदाबाद	17	41	0	20	0	340	0	5
7.	लोनी मोड़-सोनीपत	20	35	0	16	0	320	0	4
8.	मेरठ-अलवर वाया दिल्ली	103	67	0	2	0	206	0	2
9.	मेरठ-फरीदाबाद	17	67	0	14	0	238	0	7
10.	मेरठ-गुड़गांव	10	67	0	14	0	140	0	7
11.	नोएडा-सै0 62-फरीदाबाद	17	20	50	28	1000	476	10	7
12.	नोएडा-से0 62-गुड़गांव	10	20	50	20	1000	200	10	5
13.	बड़ौत-दिल्ली-फरीदाबाद	17	45	0	20	0	340	0	5
14.	सोनीपत-बागपत	21	7	50	36	350	756	5	0
15.	पानीपत-मेरठ	20	99	2	0	198	0	1	0
16.	बड़ौत-फरीदाबाद वाया कश्मीरीगेट-सराय कालेखां	17	52	0	8	0	136	0	4
17.	बड़ौत-गुडगांव वाया कश्मीरीगेट-धौलाकुआं	10	52	0	8	0	80	0	4
18.	बड़ौत-कश्मीरीगेट-नरेला वाया बहालगढ़	78	52	0	12	0	936	0	6
19.	बिनौली-बड़ौत-कश्मीरी गेट अलवर	103	73	0	4	0	412	0	4
20.	बड़ौत-पलवल वाया कश्मीरी गेट	42	52	0	12	0	504	0	6
21.	बड़ौत-अलवर वाया गुड़गांव	103	52	0	6	0	618	0	6
22.	कासना-फरीदाबाद	17	17	0	20	0	340	0	3
23.	कासना-गुड़गांव	10	17	0	8	0	80	0	4
24.	बड़ौत-रेहतक वाया सोनीपत	70	15	0	10	0	700	0	5
25.	झज्जर-नोएडा वाया आईएसबीटी दि0	45	20	20	0	400	0	5	0
26.	मेरठ-सोनीपत	23	59	4	4	236	92	2	2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0 द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ0प्र0
27.	हस्तिनापुर-सोनीपत वाया दौराला-बड़ौत	23	98	0	24	0	552	0	12
28.	खुर्जा-जेवर-गुड़गांव	78	45	0	2	0	156	0	1
29.	मेरठ-रेवाड़ी	110	67	0	2	0	220	0	2
30.	सिकन्दराबाद-जेवर-बल्लभगढ़	42	60	0	4	0	168	0	2
31.	छपरौली-दिल्ली-फरीदाबाद	17	59	0	12	0	204	0	6
32.	पलवल-बुलन्दशहर	22	54	4	0	216	0	1	0
33.	बुलन्दशहर-दिल्ली-गुड़गांव	10	53	0	4	0	40	0	2
34.	दिल्ली-बुलन्दशहर	59	54	2	0	108	0	1	0
35.	बुलन्दशहर-गुड़गांव वाया जेवर, पलवल	69	54	0	8	0	552	0	4
	योग	**1288**	**1779**	**200**	**414**	**4068**	**10610**	**40**	**135**

प्रस्तावित मार्ग

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0 द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ0प्र0
1.	भिवाड़ी-गढ़-हापुड़-वाया दिल्ली		47	02		94		01	
2.	गढ़-दिल्ली		66	02		528		01	
3.	फरीदाबाद-गाजियाबाद वाया दिल्ली		14	16		224		04	
4.	फरीदाबाद-बुलन्दशहर वाया दिल्ली	-	75	04	-	300	-	02	-
5.	करनाल-गाजियाबाद वाया दिल्ली		108	02		216		02	
6.	पानीपत-मुजफ्फरनगर	-	68	04	-	272	-	02	-
7.	पलवल-बुलन्दशहर वाया दिल्ली	-	75	04	-	300	-	02	-
8.	सोनीपत-बड़ौत		16	12		192		06	
	योग						**1254**		
9.	मेरठ-शामली-बिडौली-करनाल	25	100	-	20	-	500	-	05
10.	मेरठ-बागपत-सोनीपत	21	59	-	16	-	336	-	04
11.	मुजफ्फरनगर-जिंद वाया पानीपत	92	57	-	04	-	228	-	02
12.	खुर्जा-जेवर-पलवल-बल्लभगढ़	42	54	-	4	-	168	-	2
13.	बुलन्दशहर-जेवर-पलवल- बल्लभगढ़	42	54	-	4	-	168	-	2
14.	बुलन्दशहर-रेवाड़ी-वाया जेवर-पलवल-सोहना-धरूहेड़ा	98	54	-	4	-	392	-	2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा	उ0प्र0	हरियाणा द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0 द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ0प्र0
15.	बुलन्दशहर-सोनीपत वाया मेरठ-बागपत	21	136	-	4	-	84	-	2
16.	बुलन्दशहर-करनाल-वाया मेरठ-शामली-बिडौली	25	177	-	4	-	100	-	2
	योग-						**1976**		

टिप्पणीः- निजी क्षेत्र की बसों का परिचालन पारस्परिक सहमति के आधार पर अलग से किया जायेगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-च

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं0	मार्ग	कि0मी0		एकल फेरे		परिचालन कि0मी0		परमिटों की सं0	
		उ0प्र0	राजस्थान	उ0प्र0	राजस्थान	राजस्थान द्वारा उ0प्र0 में	उ0प्र0 द्वारा राजस्थान में	उ0प्र0	राजस्थान
1.	मेरठ-अलवर वाया दिल्ली, गुड़गांव	58	38	2	2	116	76	2	2
2.	बिनौली-बड़ौत-कश्मीरी गेट- अलवर	73	38	4	0	0	152	4	0
3.	बड़ौत-अलवर वाया गुड़गांव	52	38	6	0	0	228	6	0
4.	खैरथल-हस्तिनापुर वाया दिल्ली-मेरठ	69	99	2	0	198	0	0	2
	योग	**252**	**213**	**14**	**2**	**314**	**456**	**12**	4

टिप्पणीः- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-7/2021/1529(1)/तीस-4-2021-9(1)/2008 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी व अंग्रेजी आलेख एवं करार की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति सम्पूर्ण प्रदेश के दो अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-7/2021/1529(2)/तीस-4-2021-9(1)/2008 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम गोपाल सिंह)
अनु सचिव

संख्या-7/2021/1529(3)/तीस-4-2021-9(1)/2008 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा इसकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम गोपाल सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in